<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2236

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात कारखानों द्वारा प्रदूषण

2236. श्री संजय सेठः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इस्पात कारखाने विशेष रूप से झारखंड में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या और ब्यौरा क्या है और निरीक्षण के दौरान कौन-से प्रदूषक पाए गए हैं और इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने के लिए इस्पात संयंत्रों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित/स्वीकृत की गई है; और

(ङ) उन इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए गए हैं/अभी भी स्थापित किए जाने हैं और झारखंड सहित सभी इस्पात संयंत्रों में ऐसे उपकरण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कब तक लगाए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। इन मानकों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि इकाइयां पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं या नहीं। इस्पात संयंत्रों को इन मानकों का अनुपालन करना होता है।

इस्पात संयंत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का नियमित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये सीपीसीबी तथा एसपीसीबी द्वारा निरीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मानकों के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। कई गंभीर मामलों में विनिर्माण गतिविधियों को रोकने के लिये तत्काल बंद करने का आदेश तब तक के लिए जारी किया जाता है जब तक उद्योग मानकों को पूरा करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उन्नयन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है।

इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस कारण निवेश संबंधी निर्णय संबंधित इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने हेतु इस्पात मंत्रालय इस्पात कंपनियों के लिये कोई निधीयन नहीं करता है।

***